

प्रेस नोट
जनपद सोनभद्र
दिनांक-11.07.2024

थाना मांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वध हेतु ले जा रहे 160 राशि गोवंश को किया बरामद, मौके से 08 नफर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार

डॉ० यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी मांची के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों व गौ-तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 11.07.2024 को समय 05.55 बजे मुखबिर खास सूचना पर थाना मांची पुलिस द्वारा ग्राम सोमा अंतर्गत चिकनी घाटी पहाड़ी पर गोवंश को बध हेतु जंगल के रास्ते से बिहार ले जा रहे थे कि 160 राशि गोवंश, जिसमें 63 राशि गाय, 22 राशि बैल, 34 राशि बछड़ा, 41 राशि बछिया, मुखबिर खास सूचना पर आठ पशु तस्करो क्रमशः 1-राजकुमार यादव पुत्र बिगगन यादव ग्राम चिचलिक थाना माची सोनभद्र हाल पता करोदिया थाना रामपुर बरकोनिया सोनभद्र 2-प्रमोद कुमार पुत्र रामनारायण गोड 3-संतोष कुमार गोंड पुत्र रामनारायण गोड निवासीगढ़ ग्राम करौदिया टोला मडरहवा थाना रामपुर बड़कुनिया जनपद सोनभद्र 4-निरंजन सिंह पुत्र राम सिंह गोड ग्राम करोदिया थाना रामपुर बरकोनिया जनपद सोनभद्र 5-जग प्रसाद गोड पुत्र स्वर्गीय बंसी गोड निवासी ग्राम करौदिया थाना रामपुर बड़कुनिया जनपद सोनभद्र,6-विनोद यादव पुत्र स्वर्गीय रामाधार यादव निवासी रामपुर थाना रामपुर बरकोनिया जनपद सोनभद्र 7-श्रवण कुमार पुत्र शंकर पनिका निवासी बैजनाथ थाना रामपुर बड़कुनिया जनपद सोनभद्र, 8-मुनेश्वर धागर पुत्र स्वर्गीय सूजा धागर निवासी सोम थाना माची जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार किया गया तथा संतोष कुमार धागर पुत्र परमेश्वर धागर निवासी ग्राम सोम थाना माची सोनभद्र व छविनाथ उर्फ छवि यादव पुत्र काशी उर्फ मुरहू निवासी थाना रामपुर बरकोनिया जनपद सोनभद्र मौके से फरार हो गये। उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना मांची पर मुकदमा अपराध संख्या 33 /2024 धारा 3/5A/8 गोबध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण-

1.63 राशि गाय, 22 राशि बैल, 34 राशि बछड़ा, 41 राशि बछिया कुल 160 राशि गोवंश बरामद।